भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1552** जिसका उत्तर
शुक्रवार, **10 फरवरी**, 2023/21 माघ, 1944 (शक) को दिया जाना है

तटीय समुद्री परिवहन

†1552. **श्री थोमस चाज़िकाडन :**
श्री टी. आर. बालू :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश भर में कार्गो के आवागमन में सड़कों और रेलवे पर अत्यधिक दबाव को काफी हद तक कम करने और पोत परिवहन क्षमता का दोहन करने के लिए देश की 7500 किलोमीटर लंबी तट रेखा के साथ-साथ तटीय पोत परिवहन को बढ़ावा देने की कोई व्यापक योजना है;
(ख) यदि हां, तो केरल सहित देश में तटीय पोत परिवहन के विकास के लिए उठाए गए नए कदमों/ पहलों और नई नीतियों और कार्यनीतियों का ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों के दौरान केरल सहित राज्य-वार यातायात में वृद्धि के संदर्भ में कितनी सफलता मिली है;
(ग) निजी क्षेत्र सहित तटीय पोत परिवहन में शामिल एजेंसियों को तटीय पोत परिवहन टनभार बढ़ाने के लिए सरकारी सहायता और सहयोग का ब्यौरा क्या है;
(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान केरल में तटीय समुद्री परिवहन के विकास के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई है; और
(ङ) तटीय समुद्री परिवहन के लिए चालू और वर्तमान परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क), (ख) और (ग): सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत कार्गो को परंपरागत भूमि आधारित परिवहन से तटीय नौवहन मोड में अंतरित करने की सुविधा प्रदान करने हेतु विभिन्न पहलें और परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

सरकार ने तटीय नौवहन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

i. सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत तटीय बर्थ योजना में अवसंरचना के सृजन के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है, ताकि समुद्र/ राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो/ यात्रियों की आवाजाही को बढ़ावा दिया जा सके। सागरमाला कार्यक्रम के तहत तटीय बर्थों, रो-रो/ रो-पैक्स जेट्टियों, यात्री जेट्टियों आदि के विकास के लिए 2705 करोड़ रु. के मूल्य वाली 60 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। जिनमें से 849 करोड़ रु. के मूल्य वाली 15 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं।
ii. बाह्यगामी परिवहन हेतु यानांतरण पत्तनों पर कंटेनर जलयानों को एक्जिम कंटेनर और खाली कंटेनर ले जाने; कृषि, मत्स्यन, बागवानी, उर्वरक तथा पशु उत्पाद संबंधी मदों बशर्ते कि ये मदें समुद्री यात्रा की शुरुआत में पोत पर लादे जाने वाले कार्गो का कम से कम 50% हिस्सा हों, को ले जाने वाले विदेशी पंजीकृत जलयानों को वाणिज्यिक पोत परिवहन की धारा 407 के तहत लाइसेंसीकरण से छूट प्रदान की जाती है।
iii. महापत्तनों द्वारा तटीय कार्गो जलयानों पर लगाए जाने वाले जलयान और कार्गो संबंधी प्रभारों में 40% की छूट प्रदान की जाती है।
iv. तटीय जलयानों के लिए प्राथमिकता बर्थिंग नीति अधिसूचित की गई है, ताकि तटीय जलयानों के टर्नअराउंड समय में कमी हो सके और उनके उपयोग में सुधार लाया जा सके।

v. भारतीय पंजीकृत जलयानों में प्रयोग होने वाले बंकर ईंधन पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

vi. पत्तनों पर तटीय कार्गो की तीव्र निकासी के लिए ग्रीन चैनल निकासी शुरू की गई है।

vii. तटीय नौवहन अथवा अंतर्देशीय जल परिवहन के माध्यम से छूट प्रदत्त यूरिया और पीएंडके उर्वरकों की पहली आवाजाही पर मालभाड़े की सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी गई।

viii. कार्गो की तीव्र आवाजाही के लिए सभी महापत्तनों और गैर-महापत्तनों के साथ पहली और अंतिम छोर की सड़क और रेल संपर्कता में सुधार करने के लिए भी परियोजनाओं की पहचान की गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ कार्य कर रहा है।

पिछले तीन वर्षों के लिए तटीय कार्गो यातायात का राज्य-वार ब्यौरा (**अनुबंध-1)** में प्रदान किया गया है।

(घ) : केरल में परियोजनाओं के विकास के लिए मंत्रालय ने सागरमाला कार्यक्रम के तहत 130 करोड़ रु. की राशि मंजूर की हैं और आज की तारीख तक 73 करोड़ रु. की राशि जारी कर दी गई है।

(ङ) : तटीय समुद्री परिवहन के संबंध में प्रचालनरत और चल रही परियोजनाओं का राज्य/ संघशासित क्षेत्र वार ब्यौरा (अनुबंध-II) में प्रदान किया गया है।

अनुबंध-I

विगत 3 वर्षों के दौरान राज्य-वार तटीय कार्गो यातायात (एमएमटीपीए)			
राज्य	2019-20	2020-21	2021-22
गुजरात	32	27	31
महाराष्ट्र	25	24	28
गोवा	1	1	1
आंध्र प्रदेश	17	14	17
कर्नाटक	5	5	5
केरल	6	6	6
तमिलनाडु	14	15	17
पुदुच्चेरी	1	1	1
ओडिशा	20	17	22
पश्चिम बंगाल	5	3	3
अंडमान और निकोबार	1	1	1
कुल (एमएमटीपीए)	**127**	**114**	**133**

अनुबंध-II

राज्य	पूरी की गई परियोजना	विकास के अधीन	कार्यान्वयन के अधीन	कुल योग
आंध्र प्रदेश	1		1	2
गोवा		1		1
गुजरात	2	3	2	7
कर्नाटक		5	4	9
केरल	1			1
महाराष्ट्र	9	11	12	32
ओडिशा		5		5
तमिलनाडु	2	1		3
कुल योग	**15**	**26**	**19**	**60**

*****